विधि (क) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 1, 1994

संख्या एफ.3(3) एल./ए./64:- राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एक्ट, 1956) (राजस्थान एक्ट 6, सन् 1957) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ए), (बी), (एफ) और (जी) के साथ पठित एक्ट की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियम, 1958 का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियम, 1964

***1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-**(1) ये नियम राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता नियम, 1964 कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''एक्ट'' से तात्पर्य राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट संख्या 6, 1957) से है;

(ख) ''विधान सभा'' से तात्पर्य राजस्थान विधान सभा से है;

(ग) ''मुख्य सार्वजनिक कार्यालय'' से तात्पर्य है :-

(1) किसी जिले के प्रधानास्पद (हैडक्वार्टर्स) पर, कलक्टर का कार्यालय,

(2) किसी तहसील के प्रधानास्पद पर, तहसीलदार का कार्यालय तथा,

---

*अधिसूचना प.7(18) संसद/1998, दिनांक 8 मई, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) अन्य स्थानों पर, पुलिस स्टेशन, या यदि पुलिस स्टेशन न हो तो डाक घर (Post Office) या यदि डाक घर न हो तो ऐसा स्थान (Point) जो अध्यक्ष द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनार्थ ऐसा घोषित किया जाये;

(घ) ''समिति'' से तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 के खण्ड (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में विधान सभा के सदन द्वारा बनाये गये, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार विधान सभा के सदन द्वारा नियुक्त प्रवर समिति या विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित या विधान सभा के सदन द्वारा निर्वाचित समिति अभिप्रेत है और इसमें उसकी उप समिति सम्मिलित है;

(ड) ''दिन'' से तात्पर्य अर्धरात्रि को आरम्भ और समाप्त होने वाले कलैण्डर दिन से है;

(च) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(छ) ''अधिवेशन'' से तात्पर्य विधान सभा के सदन के सत्र में उसकी बैठकें या उसकी किसी समिति का कोई अधिवेशन अभिप्रेत है;

(ज) ''अनुसूची'' से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; तथा

(झ) ''सत्र'' से तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा अधिवेशन के लिये आहू तविधान सभा के सत्र की, उसकी प्रथम बैठक की तारीख को प्रारम्भ होने वाली और उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा उसके सत्रावसान या अध्यक्ष द्वारा अनिश्चितकाल के लिये उसके स्थगन, जो भी पहले हो, की तारीख को समाप्त होने वाली सम्पूर्ण कालावधि अभिप्रेत है।

3. अधिवेशन में हाजिर होने अथवा अन्य कार्य करने के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता :-कोई सदस्य जो बैठक में उपस्थित हो, अथवा अध्यक्ष के आदेशानुसार सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य करे, इन नियमों तथा अनुसूची में विहित शर्तों तथा निर्बन्धों के अध्यधीन, अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्ता और अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर यात्रा भत्ता उठा सकेगा।

3. क-सरकारी दौरे पर यात्रा भत्ता अग्रिम :-

(1) शासकीय कार्य से राज्य से बाहर दौरे पर जाने वाले सदस्य को यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करने पर, इतनी राशि जो बस/रेल किराये को सम्मिलित करते हु एसम्भावित व्ययों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो, अग्रिम में स्वीकृत की जा सकेगी।

(2) किसी सदस्य को इस नियम के अधीन दूसरी बार अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने पहले वाले अग्रिम का हिसाब नहीं दे दिया हो।

(3) एक वर्ष से अधिक की अवधि तक असमायोजित रहे अग्रिम की वसूली, ऐसे असमायोजन के कारण को स्पष्ट करने के लिये ऐसे सदस्य को अवसर देने के पश्चात् उसके आगामी वेतन बिल या किसी अन्य प्रकार से, जैसा कि विधान सभा के सचिव, द्वारा उचित समझा जाये की जा सकेगी।

4. अधिवेशनों आदि में हाजिर होने के लिये यात्रा भत्ता :-(1) कोई सदस्य जो अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से किसी सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये जावे अथवा सदस्य की हैसियत से उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष के आदेशानुसार उस स्थान पर पहुंचे जहां कि उक्त अन्य कार्य किया जाने को है, अथवा उससे पर्यवसान पर अथवा उसके पूर्व वहां लौट कर आवे, उसके रवाना होने के स्थान या उसके सामान्य निवास स्थान से या तक उसके मिलने योग्य यात्रा भत्ता जो कम हो उठा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- (1) जब किसी सदस्य का सामान्य निवास स्थान राजस्थान राज्य के बाहर स्थित हो, राज्य में उक्त सामान्य निवास-स्थान से निकटतम स्थित कोई अन्य स्थान जो सदस्य द्वारा बतलाया जा सकेगा, इन नियमों के प्रयोजनार्थ, उसका सामान्य निकास स्थान समझा जायेगा।

(2) नियम 6 और 7 में अन्यथा प्रावहित को छोड़कर, कोई सदस्य, केवल उस यात्रा के लिए जो वह किसी सत्र में या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अथवा सदस्य की हैसियत से उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी स्थान पर पहुंचनेके लिए करे तथा उक्त सत्र अथवा समिति की बैठक अथवा उक्त कार्य की समाप्ति के पूर्व या तत्पश्चात् उसकी वापसी यात्रा के लिये, यात्रा भत्ता उठा सकेगा।

(3) इस बात के होते हुएभी कि एक सदस्य ने विधान सभा के सदन जिसके लिये वह निर्वाचित हुआहै, में स्थान ग्रहण नहीं किया है, वह अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए सदन में स्थान ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा की गई यात्रा के लिये यात्रा-भत्ता पाने का हकदार होगा।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुएभी, यदि किसी समिति की बैठक विधान सभा का सत्र चालू होने के समय बुलाई जाये, तो सदस्य ऐसी बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा की गई यात्रा के लिये यात्रा-भत्ता उठाने का हकदार नहीं होगा यदि उसने विधान सभा के सत्र में उपस्थित होने हेतु उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता पहले से ही उठा लिया हो।

(5) पूर्वगामी उप-नियमों में किसी बात के होते हुएभी, कोई सदस्य किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा :-

(क) यदि उसका निवास स्थान जयपुर से या ऐसी बैठक के लिये सरकार द्वारा नियत अन्य स्थान के पांच मील के अर्धव्यास (Redius) के भीतर स्थित हो, या

(ख) जब तक कि वह, समिति की किसी बैठक की दशा में, ऐसी बैठक में किसी एक दिन उसकी कालावधि से कम से कम आधे समय के लिये उपस्थित न रहे।

(6) पूर्वगामी उप नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य, सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य अध्यक्ष के आदेशानुसार करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर पहुंचने हेतु की गई यात्रा के लिये किसी यात्रा भत्ता का, हकदार नहीं होगा, यदि उसका सामान्य निवास स्थान उक्त स्थान से पांच मील के अर्धव्यास के भीतर स्थित है।

5. विधान सभा के सत्र में हाजिर होने के लिए दैनिक भत्ता :-(1) विधान सभा के सत्र में उपस्थित रहने वाला कोई सदस्य उस सत्र की कालावधि के प्रत्येक दिन के लिये और ऐसी अवधि के लिये जो सत्र के प्रारम्भ के ठीक पहले दो दिन से अधिक न हो और सत्र की समाप्ति के ठीक बाद में एक दिन से अधिक न हो, एक्ट में उल्लिखित दर से दैनिक भत्ता उठा सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी दिन के लिये दैनिक भत्ते का दावा तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि सदस्य उस स्थान में जहां सत्र होता हो, उस दिन कम से कम आठ घंटे न रहा हो :

परन्तु यह और कि कोई सदस्य सिवाय तब के जब वह अपनी बीमारी के कारण विधान सभा के अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ रहा हो, किसी ऐसे दिन के लिये दैनिक भत्ता उठाने का हकदार नहीं होगा जिस दिन विधान सभा का अधिवेशन तो हुआ था किन्तु वह उसमें हाजिर नहीं हुआ:

परन्तु यह भी कि जहां कोई सदस्य किसी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ते का दावा करता है, जिस दिन वह विधान सभा के सत्र में इस आधार पर हाजिर नहीं हुआकि वह अपनी बीमारी के कारण उसमें हाजिर होने में असमर्थ था, वहां वह ऐसा भत्ता उठाने का हकदार तभी होगा जब वह अपने हस्ताक्षरों से यह प्रमाणित करते हुए कि वह अपनी बीमारी के कारण उस दिन विधान सभा के अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सका था, विधान सभा के सचिव को सम्बोधित इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करे और जहां वह उक्त आधार पर विधान सभा के अधिवेशन में तीन दिन से अधिक दिनों तक हाजिर नहीं हुआ हो और उन दिनों के दैनिक भत्ते का दावा करे वहां वह ऐसा भत्ता उठाने का हकदार तभी होगा जब वह प्राधिकृत चिकित्सा परिचायक द्वारा जारी किया गया अपनी बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे।

स्पष्टीकरण :-इस उप नियम के तृतीय परन्तुक और नियम 13 के उप-नियम (4) के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति ''प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक'' का वही अर्थ होगा जो इस अभिव्यक्ति को, समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, ##2013 के नियम 3 के उप-नियम (1) में समनुदेशित है; और

(2) किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने वाला कोई सदस्य ऐसी बैठक के दिन या दिनों और बीच में पड़ने वाली छुट्टियों और शनिवारों यदि कोई हों, और साथ ही बैठक के प्रारम्भ के ठीक पहले एक दिन और बैठक समाप्ति के ठीक बाद में एक दिन के लिये दैनिक भत्ता उठाने का हकदार होगा तथा उप-नियम (1) के परन्तुक लागू होंगे।

(3) एक सदस्य जो सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य अध्यक्ष के आदेशानुसार करने के लिए किसी स्थान पर पहुंचजाये तो वह उक्त प्रयोजनार्थ उस स्थान पर ठहरने के एक या अधिक दिनों के लिये दैनिक भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु ऐसे किसी दिन के लिए दैनिक भत्ते का दावा तब तक नहीं किया जायगा जब तक सदस्य उसके पहुंचनेके स्थान पर कम से कम आठ घंटे न रहा हो।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हु एभी, सत्र के दौरान में सात या अधिक दिनों तक रहने वाले स्थगन की दशा में, यदि कोई सदस्य बैठक का स्थान छोड़े तो वह नियम 3 के अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा, तथा यदि वह बैठक के स्थान में ही निवास करे तो वह बैठक के स्थान में इसके निवास के सभी दिनों के लिए, जो छह दिन से अधिक नहीं होंगे, दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

6. अन्तरालों के दौरान दैनिक भत्ता :- (1) जहां एक ही स्थान पर समिति की बैठक की समाप्ति और सत्र के आरम्भ के बीच में अथवा सत्र की समाप्ति और समिति की बैठक के आरम्भ के बीच का अन्तराल पांच दिन से अधिक न हो तथा सम्बन्धित सदस्य उक्त अन्तराल में उस स्थान पर रहना तय करे, तो वह उक्त स्थान पर उसके निवास के प्रत्येक दिन के लिये एक्ट में उल्लिखित दर पर दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा।

अधिसूचना क्रमांक प.7(18)संसद/98 दिनांक 18/2/2010 द्वारा प्रतिस्थापित w.e.f. 23 सितम्बर, 2008

अधिसूचना सं.एफ. 7(2) संसद/2014 दिनांक 22/4/16 w.e.f. तुरन्त प्रवृत्त

परन्तु यदि उक्त सदस्य अन्तराल के दौरान या पहले उक्त स्थान को छोड़े तो वह ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार होगा जिसकी कि राशि दैनिक भत्ते की उस कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो कि नियम 5 के अन्तर्गत उक्त सदस्य की अनुपस्थित के दिनों के लिए अनुमत्त होती यदि वह इस प्रकार अनुपस्थित नहीं रहा होता।

(2) जब किसी समिति की एक बैठक की समाप्ति और उसी समिति की अथवा उसी स्थान पर किसी दूसरी समिति की, दूसरी बैठक जिन दोनों में ही उस सदस्य को उपस्थित होना अपेक्षित है, के बीच अन्तराल तीन दिन से अधिक नहीं है, और सम्बन्धित सदस्य ऐसे अन्तराल में उक्त स्थान पर रहना निर्धारित करता है तो वह उक्त स्थान पर उसके निवास के प्रत्येक दिन के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा :

परन्तु शर्त यह है कि यदि सदस्य ऐसे अन्तराल के दौरान में या पहले उस स्थान को छोड़ देता है तो वह ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार होगा जिसकी कि राशि दैनिक भत्ते की उस कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो कि नियम 5 के अन्तर्गत उक्त सदस्य की अनुपस्थिति के लिये स्वीकार्य होती यदि वह अनुपस्थित नहीं रहता।

(3) जब :-

(i) उप-धारा (1) के अन्तर्गत विधान सभा की बैठक और समिति की बैठक के बीच पांच दिन का अन्तराल है, अथवा

(ii) उप-धारा (2) के अन्तर्गत किसी समिति की एक बैठक की समाप्ति और उसी उसी समिति की, अथवा उसी स्थान पर दूसरी समिति की, दूसरी बैठक के बीच अन्तराल तीन दिन से अधिक है, और यदि सदस्य अपनी बैठक का स्थान छोड़ देता है तो वह नियम 3 के अनुसार यात्रा भत्ता मांगने का हकदार होगा, और यदि वह बैठक के स्थान पर ही निवास करता है तो वह ऐसे दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो उस यात्रा भत्ते से अधिक नहीं होगा जिसके लिये वह हकदार होता यदि वह अन्तराल के दौरान उसके सामान्य निवास स्थान को लौट जाता और उस स्थान को दूसरी यात्रा करता जहां कि दूसरी बैठक की गई है।

(4) जबकि पांच दिन की अवधि में सत्र एक स्थान में किया जाता है और किसी समिति की बैठक किसी दूसरे स्थान पर की जाती है, तो सत्र और समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य को अनुमत्त यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते तक ही सीमित रहेगा जो एक समिति की बैठक या सत्र के एक स्थान से समिति की दूसरी बैठक या सत्र के स्थान तक अथवा विलोमत:, सीधी यात्रा के लिये अनुमत्त होता।

(5) जबकि पांच दिन की अवधि के भीतर किसी समिति की बैठक एक स्थान पर हु ईहो तथा उसी समिति की दूसरी बैठक या अन्य समिति की कोई बैठक दूसरे स्थान पर हु ईहो और दोनों ही बैठकों में उस सदस्य की उपस्थिति अपेक्षित हो तो एक स्थान पर होने वाली प्रथम बैठक तथा दूसरे स्थान पर होने वाली अन्य बैठक में उपस्थित होने वाले किसी सदस्य को वही यात्रा भत्ता मिलेगा जो कि उसको समिति की प्रथम बैठक के स्थान से बैठक के दूसरे स्थान तक तथा बैठक के दूसरे स्थान से समिति की प्रथम बैठक के स्थान तक सीधी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता मिलता हो।

7. सत्र अथवा अधिवेशनों के दौरान यात्रा भत्ता की अनुज्ञेयता :- (1) जबकि कोई सदस्य राजस्थान राज्य के भीतर किसी स्थान पर जाने के लिये, किसी सत्र या समिति की किसी बैठक के दौरान सात दिन से कम के लिये अनुपस्थित रहे तो वह उन मामलों में जहां समिति के अधिवेशन की अवधि दस दिन से अधिक हो उक्त स्थान को की गई ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में तथा यात्रा के लिये अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा :

परन्तु यथा पूर्वोक्त सुविधा महीने में केवल एक बार ही अनुज्ञात होगी,

किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार का यात्रा भत्ता दैनिक उस कुल राशि से अधिक नहीं होगा जो कि उक्त सदस्य को यदि वह इस प्रकार अनुपस्थित नहीं रहता तो अनुपस्थिति के दिनों के लिये नियम 5 के अधीन मिलती।

(2) जहां कोई सदस्य राजस्थान में किसी स्थान का दौरा करने के लिये विधान सभा के किसी अधिवेशन या उसकी किसी समिति के अधिवेशन के दौरान सात दिन या उससे अधिक की कालावधि के लिये अनुपस्थित रहे वहां उसे नियम 5 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हु एकोई यात्रा तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

8. यात्रा का लघुत्तम मार्ग द्वारा किया जाना :-(1) यात्रा भत्ता की प्रतिगणना करने के प्रयोजनार्थ दो स्थानों (स्टेशन्स) के बीच यात्रा दो या अधिक व्यवहार्य मार्गों में से लघुत्तम मार्ग द्वारा या समान लघु मार्गों में से सबसे सस्ते मार्ग द्वारा की गई मानी जाती है।

*(2) लघुत्तम मार्ग वह है जिससे यात्रा करने वाला सदस्य रेल या मोटर कार जो भी साधन वह अंगीकृत करें, से अपने गम्य स्थान को अत्यन्त तीव्र गति से पहुंचसकता है।

*(3) यात्रा भत्ता रेल या यथास्थिति मोटर कार द्वारा यात्रा के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर संगणित किया जायेगा।

(4) कोई सदस्य, जिसे रेल द्वारा नि:शुल्क यात्रा (ट्रांजिट) की अनुमति हो, यात्रा के लिये केवल प्रथम श्रेणी का आधा किराया उठाने का हकदार होगा।

(5) जो सदस्य अधिनियम की धारा 8-क के अन्तर्गत प्रवाहित सड़क द्वारा नि:शुल्क यात्रा (ट्रांजिट) की सुविधा का लाभ उठावे, वह उक्त यात्रा के लिये किराया उठाने का हकदार नहीं होगा किन्तु वह आनुषंगिक व्यय पाने का हकदार होगा।

(6) कोई सदस्य, जो वायुयान से यात्रा करे, केवल वही यात्रा भत्ता उठा सकेगा जो उसे यदि वह यात्रा रेल या सड़क द्वारा की गई होती, मिलने योग्य होता।

(7) किसी स्टेशन में वह स्थान जहां से कोई यात्रा प्रारम्भ हुई मानी जाये और जहां वह समाप्त हुई मानी जाय, क्रमश: ऐसे स्टेशन में स्थित मुख्य सार्वजनिक कार्यालय और वह स्थान, जहां बैठक के कार्य का सम्पादन किया जाये, होंगे।

---

*अधिसूचना प.7(18) संसद/1996, 8 मई, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित

(8) जब किसी सदस्य के लिये भारत सरकार या राजस्थान सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय निधि या सत्ता के व्यय पर नि:शुल्क भोजन तथा रहने की व्यवस्था की गई हो तो वह, इन नियमों के अन्तर्गत उसको मिलने वाले दैनिक भत्ते का केवल एक चौथाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा यदि किसी सदस्य को केवल भोजन या रहने की सुविधा दी गई हो तो इन नियमों के अन्तर्गत उसको मिलने वाले दैनिक भत्ते का केवल तीन चौथाई पाने का हकदार होगा।

9. सत्र या अधिवेशन के मुलतवी या स्थगित होने पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की अनुज्ञेयता :-यात्रा-भत्ता सम्बन्धी ऐसे समस्त मामले जिसमें कोई सदस्य सत्र या समिति की बैठक के स्थगन के बारे में जानकारी न होने के कारण उस स्थान पर, जहां सत्र या किसी समिति की बैठक बुलाई गई हो, पहुंचजाये, जिनमें उन सदस्यों के मामले भी सम्मिलित होंगे जो उस सत्र या समिति की बैठक का आकस्मिक स्थगन हो जाने के पश्चात् इस बात की जानकारी के अभाव में पहुंचजाते हैं, अध्यक्ष द्वारा, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हु ये तय किये जायेंगे।

10. वेतन अथवा यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के बिलों में से बकाया रकम का काटा जाना :-(1) (क) जब कभी किसी सदस्य के प्रति कोई सरकारी या अर्द्ध सरकारी बकाया, जैसे मकान किराया, जल व्यय, विद्युत व्यय, फर्नीचर किराया, टेलीफोन-व्यय इत्यादि के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई हो तो ऐसी बकाया राशि के बराबर की राशि उस सदस्य के आगामी वेतन या यात्रा तथा दैनिक भत्ते के बिल में से काट ली जायगी।

(ख) जब किसी सदस्य के वेतन बिल में से खण्ड (क) में उल्लिखित किसी बकाया राशि की कटौती किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसी बकाया राशि की सूचना उस कोषागार अधिकारी को देगा जिसके कोषागार से सदस्य अपना वेतन उठाता है और उक्त सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित कोषागार अधिकारी सम्बन्धित सदस्य के वेतन बिल या बिलों में से बकाया राशियों की रकम काट लेगा।

(ग) जब किसी सदस्य के यात्रा तथा दैनिक भत्ते के बिलों में से खण्ड (क) में उल्लिखित किसी बकाया राशि की कटौती किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित प्राधिकारी राजस्थान विधान सभा के सचिव को उक्त बकाया राशि की सूचना देगा और वह सूचना प्राप्त होने पर सचिव, सम्बन्धित सदस्य के यात्रा तथा दैनिक भत्ते के बिलों में से बकाया राशियों की रकम काट लेगा।

(2) साधारणतया किसी सदस्य के प्रति बकाया निकल रही कोई गैर सरकारी राशि उसके वेतन तथा भत्तों में से वसूल नहीं की जायगी, किन्तु जब उक्त बकाया राशि उसके सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहने के दौरान उसके प्रति की गई कुछ सेवाओं के कारण ही जैसे जब वह विधान सभा की किसी समिति के साथ दौरे पर हो और उक्त सेवाओं के लिये व्यवस्था, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों की प्रार्थना पर प्राइवेट पार्टियों द्वारा या प्राइवेट पार्टियों के कहने पर की गई हों और जबकि वह सदस्य बार-बार प्रार्थना किये जाने पर भी उक्त बकाया राशियों का भुगतान करने में विफल रहा तो ऐसी बकाया राशियों की वसूली उक्त सदस्य के वेतन बिल अथवा यात्रा या दैनिक भत्ते के बिलों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा की जा सकेगी।

11. यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की अनुज्ञेयता :-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य इन नियमों के अधीन कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं उठायेगा यदि उसी यात्रा या उसी विराम या उपस्थिति के लिये, उसने सरकार से किसी अन्य क्षमता में ऐसा कोई भत्ता उठा लिया हो।

12. बिलों का तैयार किया जाना :-(1) (क) बिल, विधान सभा के सचिव से प्राप्त किये जाने वाले मुद्रित प्रारूपों पर दो प्रतियों में तैयार किया जायगा और उसे भेजा जायगा।

(ख) जो सदस्य बैंक के जरिये संदाय लेना चाहे वे राजस्थान सरकार या नकदी कारोबार सव्यवहृत करने वाले बैंक में बैंक खाता खोलेंगे और बैंक के अपने-अपने खाते की सूचना सचिव, राजस्थान विधान सभा को देंगे। सचिव, राजस्थान विधान सभा बिल तैयार करते समय एक प्रावरण सूची तैयार करेगा जिसमें सदस्य के नाम और बचत/बैंक खाता के साथ, संदेय शुद्ध रकम उपदर्शित की जायगी। इस प्रकार तैयार किया गया बिल खजाने से पारित कराये जाने के पश्चात् बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित किया जायगा और बैंक, बिलों या प्रावरण सूची पर, संदेय शुद्ध रकम का कोई भी विधिक निस्तारण, बिल की कार्यालय प्रति पर आवश्यक नहीं होगा। किन्तु नकद संदाय के मामले में बिल की एक प्रति सदस्य के द्वारा स्टाम्प लाया जायगा और रसीद दी जायगी।

(2) प्रस्थान एवं पहुंच का समय तदर्थ रखे गये स्कम्भों में अंकित किया जाना चाहिये। किसी विशेष यात्रा के लिये कुल दावों में एक मील की भिन्नों के लिये कोई राशि नहीं उठाई जायगी।

(3) सदस्य का सामान्य निवास स्थान और कोषागार का नाम प्रपत्र के अन्त में रखे गये खाली स्थान में हाथ से लिखे जाने चाहिये।

13. बिलों पर प्रमाण पत्रों का पृष्ठांकन :-(1) (क) बिल के प्रस्तुत किये जाने के पूर्व, सम्बन्धित सदस्य उस पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा :-

(1) ''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने विधान सभा के सत्र/विधान सभा द्वारा नियुक्त.....समिति की बैठक में उपस्थित होने, अध्यक्ष के आदेशों से सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित.....कार्य करने, के प्रयोजनार्थ जिस दिन के लिये दैनिक भत्ते का दावा किया है, उस दिन मैं.....में रहा था।''

(2) ''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने किसी अन्य क्षमता में मेरे द्वारा की गई उसी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता, अथवा उसी विराम के लिये या उसी उपस्थिति का दैनिक भत्ता पहले नहीं उठाया है।''

(3) ''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने रेल वास सुविधा की उसी श्रेणी से वास्तव में यात्रा की है जिसके लिये मील भत्ते का दावा किया गया है।''

(ख) जब यात्रा का कोई भाग भारत सरकार या राजस्थान सरकार या अन्य कोई राज्य सरकार या स्थानीय निधि के व्यय पर प्रावहित किसी वाहन द्वारा पूरा न किया गया हो तो निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायगा, अर्थात् :-

''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यात्रा का कोई भाग भारत सरकार या राजस्थान सरकार या अन्य कोई राज्य सरकार या किसी स्थानीय निधि के व्यय पर प्रवाहित किसी वाहन पर पूरा नहीं किया है।''

(ग) जब किसी सदस्य को भारत सरकार या राजस्थान सरकार या स्थानीय निधि के व्यय पर नि:शुल्क भोजन तथा रहने की सुविधा प्रावहित न की गई हो तो निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायगा, अर्थात् :-

''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भारत सरकार या राजस्थान सरकार या किसी स्थानीय निधि के व्यय पर नि:शुल्क भोजन तथा निवास की सुविधा का लाभ उन दिनों के लिये जिनके लिये मैंने इस बिल में दैनिक भत्ते का दावा किया है, नहीं उठाया है।''

(2) कोई सदस्य जो किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के हेतु उसके द्वारा की गई किसी यात्रा भत्ते का दावा करे, यह प्रमाणित करे, यह प्रमाणित करेगा कि वह ऐसी बैठक में कम से कम एक बैठक में के लिए उपस्थित रहा।

(3) कोई सदस्य, जो किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी दिन के दैनिक भत्ते का दावा करे यह भी प्रमाणित करेगा कि वह उस दिन ऐसी बैठक में उसकी कालावधि के कम से कम आधे समय के लिए उपस्थित रहा।

(4) तीन दिन से अधिक ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ते का दावा करने वाला सदस्य जिस दिन विधान सभा का अधिवेशन या, यथास्थिति उसकी किसी समिति का अधिवेशन हुआ था किन्तु बीमारी के कारण वह हाजिर नहीं हो सका था, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा जारी किया गया अपनी बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

14. नियंत्रक अधिकारी :- (1) विधान सभा का सचिव सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के दावों के विषय में नियंत्रक अधिकारी होगा।

(2) सचिव की अनुपस्थिति में अथवा जबकि वह अन्यथा कार्य में व्यस्त हो विधान सभा का उप सचिव या सहायक सचिव यह कर्तव्य करेगा।

15. निर्वचन :- यदि इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो उनका निर्णय राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से

लहर सिंह मेहता

शासन सचिव।

अनुसूची

क-रेलगाड़ी द्वारा यात्रा के लिये मील भत्ते की अनुज्ञेयता की दर

स्थान-सुविधा की श्रेणी का वास्तविक रेल किराया	आनुषंगिक प्रभार	टिप्पणी
1	2	3
*रेल विभाग को सदत्त आरक्षण प्रभार, यदि कोई हो, को सत्यापित करते हुये किसी भी रेलगाड़ी में कोई भी वर्ग	#6 पैसा प्रति कि.मी. जो रेलगाड़ी से की गई वास्तविक यात्रा में व्यतीत 24 घंटे की प्रत्येक कालावधि या 24 घंटे के किसी भाग के लिये एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे। #किन्तु राजधानी एक्सप्रेस या ऐसी ही अन्य रेलगाड़ी में 6 पैसा प्रति कि.मी. जो रेलगाड़ी से की गयी वास्तविक यात्रा में व्यतीत 24 घंटे की प्रत्येक कालावधि या 24 घंटे के किसी भाग के लिये आधे विराम भत्ते तक सीमित होंगे।	
	टिप्पणी : 1 आनुषंगिक प्रभारों के प्रयोजन के लिये विराम भत्ते की दर राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन यथा अनुज्ञेय विराम भत्ते की दर होगी।	

*प.7(17)संसद/98 दिनांक 18 जून, 2008 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी

#प.7(1)संसद/2012 दिनांक 14 जून, 2012 दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी

1	2	3
	2. जब दौरे पर कोई यात्रा पहले रेलगाड़ी तथा बाद में उसी के क्रम में बस आदि से या पहले बस आदि से और बाद में उसी के क्रम में रेलगाड़ी से की जाये तो रेल, हवाई जहाज या बस से की गयी यात्रा आनुषंगिक प्रभारों की संगणना करने के प्रयोजन के लिये एक यात्रा मानी जायगी और ये प्रभार प्रत्येक 24 घंटे की कालावधि या उसके किसी भाग के लिये एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे।	
	3. यदि कोई सदस्य रेल या बस से यात्रा करे और उसी दिन उसी स्थान पर वापस आ जाये जहां से यात्रा आरम्भ की थी तो वहां तक जाने और वहां से वापस आने की यात्रा के लिए आनुषंगिक प्रभार राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पैंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन यथा अनुज्ञेय एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे।	

1		2
(i) सदस्य द्वारा अपनी मोटर कार से यात्रा वातानुकूलित / प्रभारी, कि.मी.	****10.00 ₹ प्रति कि.मी.	(क) सेमी डीलक्स/अपर क्लास बस सम्मिलित करते हुए डीलक्स बस के वास्तविक किराये के साथ यात्री कर स्थानीय यदि कोई हो, तथा रेल यात्रा के लिये यथा-अनुज्ञेय***6 पैसा प्रति, की दर से आनुषंगिक प्रभार।
(ii) सदस्य द्वारा अपने स्कूटर/मोटर-साइकिल/मोपेडआदि से यात्रा	1.00 ₹ प्रति कि.मी.	टिप्पणी:- 1. जब दौरे पर कोई यात्रा पहले रेलगाड़ी से तथा बाद में उसी के क्रम में बस आदि से या पहले बस आदि से और बाद में उसी के क्रम में रेलगाड़ी से की जाये तो रेलगाड़ी, हवाई जहाज या बस आदि से की गयी यात्रा आनुषंगिकप्रभारों की संगणनाकरने के प्रयोजन के लिये एक यात्रा मानी जायगी और ये प्रभार, प्रत्येक 24 घंटेकी कालावधि या उसके किसी भाग के लिये अधिनियम के अधीन यथानुज्ञेय एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे।
(iii) रिक्शा, तांगा, मोटर रिक्शा आदि जैसे किसी भी अन्य सवारी के साधन से यात्रा	1.80 ₹ प्रति कि.मी.	
(iv) साइकिल पर या पैदल यात्रा	0.25 ₹ प्रति कि.मी.	

**प.7(18)संसद/1998 दिनांक 30 अप्रैल, 2010 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रवृत्त

***प.7(1)संसद/2012 दिनांक 14 जून, 2012 दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी

**** संख्या एफ.7(1)संसद/2016 दिनांक अक्टूबर, 13, 2017 दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुए।

1	2
	2. यदि कोई सदस्य रेल या बस से यात्रा करे और उसी दिन उसी स्थान पर वापस आ जाये जहां से आरम्भ की थी तो वहां तक जाने और वापस आने की यात्रा के लिये आनुषंगिक प्रभार अधिनियम के अधीन यथा-अनुज्ञेय एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे।
टिप्पणी:-(1) सदस्य अपने मुख्यालय से रेलगाड़ी या नियमित बस सेवा से जुड़े हुए 15 कि.मी. से अधिक की दूरी के स्थानों की अपने स्कूटर/मोटर साइकिल/ मोपेड आदि से यात्रा नहीं करेगा। तथापि, सदस्य द्वारा अपने स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड आदि से अपने मुख्यालय से 100 कि.मी. से अनाधिक दूरी के बीच के उन स्थानों की सड़क यात्रा की जा सकेगी जो न तो रेलगाड़ी से ही और न नियमित बस सेवा से जुड़े हैं।	(ख) इयूटी स्थान से रेल स्टेशन/बस स्टैण्ड तक पहुंचने की और वहां से वापस आने की यात्रा के लिये मील भत्ता :-

स्थान	दर
(1) जयपुर/जोधपुर/कोटा बीकानेर/उदयपुर/अजमेर	25.00 ₹ नीयत प्रभार
(2) दिल्ली सहित भारत के सभी राज्यों की राजधानियां (जयपुर के सिवाय)	टैक्सी/रेलगाड़ी/ट्राम/बस आदिके किराये के भुगतान वास्तविक प्रभार
(3) अन्य स्थान	1.80 ₹ प्रति कि.मी.

1	2
(2) उस दशा में जहां पति और पत्नी दोनों ही सदस्य हों और उनमें से किसी भी एक की अपनी कार हो तो अपने पति/पत्नी को उक्त कार में किसी एक द्वारा की गयी यात्रा इन नियमों के प्रयोजनों के लिये उसकी स्वयं की कार से की गयी समझी जायगी।	**टिप्पणी :-** वह सदस्य जो रेल या सड़क से यात्रा करने के सम्बन्ध में निवास स्थान से रेल स्टेशन या बस स्टैण्ड तक की और वहां से वापस आने की सड़क यात्रा के लिये (स्टाफ कार को सम्मिलित करते हुए) विभागीय यान का उपयोग करता है, ड्यूटी स्थान से रेल स्टेशन या बस स्टैण्ड तक की और वहां से वापस आने की यात्रा के लिये सड़क मील भत्ते के हकदार नहीं होगा। (ग) जहां कोई सदस्य अपने गन्तव्य स्थान के मार्ग में आने वाले स्थान विशेष पर किसी रेलगाड़ी/बस से इस उद्देश्य से उतरे ताकि किसी अन्य रेल स्टेशन या यथास्थिति बस स्टैण्ड से मिलने वाली किसी रेलगाड़ी/बस को पकड़ सके वहां वह ऊपर पैरा (ख) में उपदर्शित दरों पर सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा।

[संख्या एफ. 3(3) एल/64]
राज्यपाल के नाम और आदेश से,
लहर सिंह मेहता
शासन सचिव